



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1106) पटना, सोमवार, 14 सितम्बर 2026

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2026

सं०-09/न०वि०(अधि०)-03/2025-8508/न०वि० एवं आ०वि०,-बिहार नगर विकास अधिनियम, 2026 की धारा-3 के अन्तर्गत "बिहार नगर विकास प्राधिकरण" की स्थापना निम्नवत की जाती है :

- (क) अध्यक्ष : मुख्य सचिव, बिहार सरकार।
- (ख) उपाध्यक्ष : अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
- (ग) पदेन सदस्य : अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
- (घ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी : बिहार सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा पदाधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से निम्न श्रेणी का न हो।

2. उक्त प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने एवं उसका व्ययन करने, संविदाएँ करने तथा अपने नाम से वाद संस्थित करने अथवा उसके विरुद्ध वाद चलाए जाने की शक्ति होगी।

3. वर्णित अधिनियम की धारा-5 (1) के अन्तर्गत तत्काल बिहार नगर विकास प्राधिकरण का कार्यालय विकास भवन, नया सचिवालय के प्रथम तल पर अवस्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत होगा।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1106-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>